झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1044 वर्ष 2017

नयन कुमार दत्ता, पे0 बुधन पारा, दत्ता, निवासी–पोद्दार, डाकघर एवं थाना–झरिया, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बी0सी0सी0एल0, कोयला नगर, थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद
2. महाप्रबंधक, संपदा, बी0सी0सी0एल0, कोयला भवन, कोयला नगर, डाकघर–कोयला नगर, थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद
3. महाप्रबंधक, बी0सी0सी0एल0, बस्ताकोला, झरिया, डाकघर एवं थाना–झरिया, जिला–धनबाद .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री शेखर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता

05/26.07.2017 याचिकाकर्ता ने स्वयं को भूमि से बेदखल होने का दावा करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक निर्देश की मांग की है।

2. एल0ए0 रिफरेंस मामला संख्या 08/2013 एवं एल0ए0 रिफरेंस मामला संख्या 11/2013 में शामिल भूमि याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर हैं, और इस प्रकार, याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि वह भूमि खोया है। अदालत के एक सवाल के जवाब में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री शेखर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि यचिकाकर्ता के पिता जीवित हैं। इस प्रकार, यायचिकाकर्ता स्वयं के लिए कथित रूप से भूमि खोने का दावा करते हुए रोजगार नहीं मांग सकता है। उन्होनें यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता के दो बेटे हैं, जिन्होनें कथित तौर पर यह वचन दिया है कि वह रोजगार का दावा नहीं कर रहा है। हालांकि, वर्तमान कार्यवाही में न तो उसके सपिता और न ही उसके भाई पक्ष हैं। प्रत्यर्थी–बी0सी0सी0एल0 द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि याचिकाकर्ता की पैतृक संपत्ति नहीं है। रिट याचिका के पैराग्राफ सं0 5 में, याची ने दावा किया है कि एक बलराम दत्ता भू–स्वामी (रैयत) था, जिससे कथित भूमि का हक और कब्जा याची के पिता के पास आया था। जाहिर है, एल0ए0 रिफरेंस मामला संख्या 08/2013 एवं एल0ए0 रिफरेंस मामला संख्या 11/2013 में शामिल भूमि याचिकाकर्ता की पैतृक संपत्ति नहीं है।

यह दलील नहीं दिया गया कि परिवार में बंटवारा हो गया है और 2 एकड़ भूमि याचिकाकर्ता के हिस्सा में आ गई, जो कि प्रत्यर्थी–बी0सी0सी0एल0 की आर एंड आर नीति के तहत भूमि की न्यूनतम आवश्यकता है भूमि खोने वाले को रोजगार प्रदान करने के लिए।

3. उपरोक्त तथ्यों में, रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया जाता है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)